कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर

"निर्वाचन तत्काल"

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510
E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक / सामा.निर्वा. / 2018 / 2661 अशोकनगर, दिनांक 19 / 09 / 2018

–: आदेश :–

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिये विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर / 033 चंदेरी / 034 मुंगावली के लिये **लेखा टीम (AT)** का गठन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारी / कर्मचारी व्यय लेखा प्रेक्षक एवं रिटर्निंग ऑफिसर / जिला नोडल अधिकारी व्यय लेखा के मार्गदर्शन में कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे, गठित दल का विवरण निम्नानुसार है–

विधानसभा क्षेत्र क्रं.	दल क्रं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग
032 अशोकनगर	01	श्री रविंद्र अग्रवाल	लेखा अधिकारी	मनरेगा जि.पं. अशोकनगर
		श्री रामगोपाल गुप्ता,	लेखापाल,	पीडब्ल्यूडी अशोकनगर
		श्री के.के. शर्मा	सहा. ग्रेड–1	महिला बाल विकास अशोकनगर
033 चंदेरी	02	श्री चंद्र शेखर यागनिक	लेखापाल	शिक्षा विभाग चंदेरी
		श्री राजेश नारायण चतुर्वेदी	गणक	बा.उ.मा.वि. चंदेरी
		श्री नवल किशोर आरोलिया	सहा.ग्रेड–3	महिला बाल विकास परियोजना चंदेरी
034 मुंगावली	03	श्री रहीश खॉन	लेखापाल	उप कोषालय मुंगावली
		श्री अशोक राठौर	लेखापाल	जनपद पंचायत मुंगावली
		श्री अशोक रघुवंशी	लेखापाल	मण्डी समिति मुंगावली

लेखा टीम (AT) का निम्नानुसार कार्य रहेगा :–

1. लेखा टीम (AT), सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन तथा दिशा–निर्देशों के अधीन अभ्यर्थी के 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' (SOR) तथा 'साक्ष्यों के फोल्डर' (FE), का संधारण तथा रख–रखाव करेंगी तथा जानकारी का पर्याप्त बैकअप रखेगी।
2. लेखा टीमें (AT) 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' अनुलग्नक 11 में अभ्यर्थीवार तैयार करेगी तथा विभिन्न टीमों द्वारा रिपोर्ट किये गये व्यय को संबंधित अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय के मदों की प्रविष्टि करेंगी तथा प्रत्येक मद के सम्मुख व्यय अधिसूचित दर अंकित करेगी। तत्पश्चात प्रत्येक अभ्यार्थी के लिये मदों पर कुल व्यय की गणना करेगी।
3. लेखा टीमें (AT) विभिन्न स्त्रोतों जैसे विभिनन सभाओं, जुलूसों, वाहन रैलियों, निर्वाचन कार्यालयों इत्यादि की अनुमतियां संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त करेंगी तथा तदनुसार ''छाया प्रेक्षण रजिस्टर'' में अंकित करेंगी तथा संबंधित अभिलेख ''साक्ष्यों के फोल्डर'' में सुरक्षित रखेंगी।
4. लेखा टीमें (AT) को अनुलग्नक 11 में छाया प्रेषण रजिस्टर को हार्ड कॉपी / एक्सल शीट में भी संधारित किया जायेगा।
5. लेखा टीम (AT) प्रतिदिन छाया प्रेक्षण रजिस्टर (SOR) को संबंधित सहायक व्यय प्रेक्षक को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

6. वीडियो निगरानी दल (VST), वीडियो व्यूइंग दल (VVT), मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (MCMC), स्टेटिक सर्वेलन्स टीम (SST), फ्लाइंग स्कॉड (FS) तथा शिकायत अनुवीक्षण सेल/कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष (DCMC) तथा कक्ष से सूचनायें सीडी अभिलेख इत्यादि प्राप्त करेंगी तथा उनका छाया प्रेक्षण में इंद्राज करेंगी तथा सीडी तथा अन्य अभिलेख साक्ष्यों में फोल्डर में सुरक्षित रखेंगी।
7. लेखा टीम (AT) विहित प्रक्रिया के अनुसार "साक्ष्यों का फोल्डर" (FE) तैयार करेगी। जिसमें किसी प्रकार के अभ्यर्थी द्वारा किये गये व्यय के साक्ष्यों को इसमें रखा जाये। टीम उसके सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या अंकित कर सहायक व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षरित करवायेगी। इस फोल्डर में ऑडियो–वीडियो, सीडी/डीव्हीडी, पोस्टर पम्पलेट, पुस्तिका, विज्ञापन, पेड न्यूज कटिंग, बिलों एवं व्हाउचरों की प्रतियां व्यय के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शिकायतें, शिकायतों के प्रतिवेदन अभ्यर्थी को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी नोटिस एवं उनका जबाव तथा एफ.आर.आई. की प्रतियां इत्यादि सम्मिलित रहेगी।
8. लेखा टीम (AT) संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न मदों की मानक दरें संधारित करेंगी।

यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

(डॉ. मंजू शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर

पृ.क्रमांक/सामा.निर्वा./2018/2662 अशोकनगर, दिनांक 19/09/2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अशोकनगर/ईसागढ़/चंदेरी/मुंगावली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/पिपरई/ईसागढ़/शाढौरा/नईसराय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. श्री डी.के. चौरसिया पेंशन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
11. थाना प्रभारी (समस्त) जिला अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला जनसंपर्क अधिकारी अशोकनगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टेनो–टू–कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
14. संबंधित श्री .... की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर